न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल म0प्र0ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक........./निगरानी/09

निगरानी-1094-III/09

RP 5468 6.8.09

अमिताष कुमार सिंह तनय श्री यशवंत सिंह निवासी अहरी टोला सतना तह0रघु0नगर जिला सतना म0प्र0--------------------------निगराकार

बनाम

01-श्रीमती ऊषा किरण सिंह पत्नी स्व0श्री श्रवण कुमार सिंह निवासी ग्राम नकटी तह0रघु0नगर जिला सतना म0प्र0, हाल मुकाम-19/115 साउथ टी0टी0नगर भोंपाल म0प्र0।

02-अर्जुन सिंह तनय श्री मुजान सिंह निवासी ग्राम नकटी तह0रघु0नगर जिला सतना म0प्र0(मृतक)---------------------------गैर निगराकारगण

क्रमांक 1753 पोस्ट द्वारा रजिस्टर्ड दिनांक 6.8.09 को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्रमांक-992/अपील/05-06 आदेश दिनांक 22.07.09

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगराकार निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि आवेदक/निगराकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त कोठी तह0रघु0नगर जिला सतना म0प्र0 के समक्ष संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, कि ग्राम गुढ़ुआ तह0रघु0नगर जिला सतना म0प्र0 स्थित आ0ख0न0-814/1 रकवा 0.157हे0, 818 रकवा 2.090हे0, 817 रकवा 02.822हे0, 820 रकवा 0.752हे0, के भूमिस्वामी निगराकार/आवेदक के बाबा अर्जुन सिंह थे, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। अर्जुन सिंह द्वारा अपने जीवनकाल मे उक्त वर्णितआराजियात का वसीयतनामा दिनांक 04.09.99 को उपपंजीयक कार्यालय सतना में पंजीबद्ध कराया। वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात निगराकार/आवेदक के द्वारा नामान्तरण का आवेदन पत्र नायब तहसीलदार वृत्त कोठी तह0रघु0नगर जिला सतना म0प्र0 के राजस्व प्र0क0-27अ6/02-03 आदेश दिनांक 14.02.06 के द्वारा निगरकार/आवेदक के पक्ष मे नामान्तरण किये जाने का आदेश पारित किया गया। Conti...........2

K. K. Soni Advocate SATNA, Ph. 35982

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

———

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1094–तीन/09 जिला –सतना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
2.3.2016	आवेदक के अधिवक्ता कई पेशियों से उपस्थित नहीं हो रहे हैं उनको समय समय पर आवाज लगवाई गई उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं। अतः आवेदक के अनुपस्थित नहीं होने के कारण तथा प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है । सदस्य	